

निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर फारट्रेक बड़ीसादड़ी

जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

रण सं 115/2017

वादपत्र धारा 53 आर.टी.एक्ट.

गणेशलाल पिता गोरधन जाति ब्राहमण नि० बड़ीसादड़ी

— वादी

॥ बनाम ॥

- देवीलाल पिता शंकरलाल जाति ब्राहमण नि० बड़ीसादड़ी
 कैलाशचन्द्र पिता शंकरलाल जाति ब्राहमण नि० बड़ीसादड़ी
 सुरेशकुमार पिता शंकरलाल जाति ब्राहमण नि० बड़ीसादड़ी
 लोकेशकुमार पिता शंकरलाल जाति ब्राहमण नि० बड़ीसादड़ी
 रमेशचन्द्र पिता कनीराम जाति ब्राहमण नि० बड़ीसादड़ी
 हर्ष पिता दिनेश जाति ब्राहमण ना. संरक्षक माता राधा पत्नी स्व. दिनेश नि० बड़ीसादड़ी
 जय पिता दिनेश जाति ब्राहमण ना. संरक्षक माता राधा पत्नी स्व. दिनेश नि० बड़ीसादड़ी
 राधा पत्नी स्व. दिनेश जाति ब्राहमण नि० बड़ीसादड़ी
 कालूराम पिता गोरधन जाति ब्राहमण नि० बड़ीसादड़ी
 1- लक्ष्मीलाल पिता परमानन्द जाति ब्राहमण नि० सांगरिया
 2- मोहनलाल पिता परमानन्द जाति ब्राहमण नि० सांगरिया
 3- सोहनलाल पिता परमानन्द जाति ब्राहमण नि० सांगरिया
 4- मेघराज पिता परमानन्द जाति ब्राहमण नि० सांगरिया
 5- श्रीमती चान्दीबाई पत्नी स्व. परमानन्द जाति ब्राहमण नि० सांगरिया
 6- शाखा प्रबंधक चित्तौड़गढ़ भूमि विकास बैंक लि. शाखा बड़ीसादड़ी
 7- तहसीलदार बड़ीसादड़ी

— प्रतिवादीगण

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार बड़ीसादड़ी के द्वारा फर्द बटवाड़ा न हो चुका है। माफिक फर्द बटवाड़ा वाद वादी अंतिम डिक्री क्रिया जाता है।

मौजा सांगरिया की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है —

1- गणेशलाल पिता गोरधन जाति ब्राहमण नि० बड़ीसादड़ी

आ.न.	रकबा	लगान
1114	0.41	5.33
1115	0.22	2.86
1641/3	0.13	4.29
3	0.76	12.48

2- देवीलाल कैलाशचन्द्र सुरेश कुमार लोकेश कुमार पिता शंकरलाल ब्राहमण सा. बड़ीसादड़ी

आ.न.	रकबा	लगान
1136	0.52	6.76
1641/2	0.24	7.92
2	0.76	14.68

3- रमेशचन्द्र पिता कनीराम ब्राहमण 1/2 हर्ष जय पिता दिनेश ना.स. माता राधा पत्नी स्व. दिनेश 1/2 ब्राहमण सा. बड़ीसादड़ी

आ.न.	रकबा	लगान
1624	0.08	2.64
1634	0.46	15.18
1641/4	0.22	7.26
3	0.76	25.08

4- कालुराम पिता गोरधन ब्राहमण सा. बड़ीसादड़ी

आ.न.	रकबा	लगान
1076	0.55	7.15
1641/1	0.22	7.26
2	0.77	14.41

5- लक्ष्मीलाल मोहनलाल सोहनलाल मेघराज पिता परमानन्द चान्दीबाई पत्नी परमानन्द ब्राहमण नि. सांगरिया


आ.न.	रकबा	लगान
1631	0.45	14.85
1628	0.21	6.93

1641/मीन	0.11	3.63
3	0.77	25.41

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री बनायी जावे। निर्णय 01.5.2018 को लोक अदालत में सुनाया गया।

मोहर




जितेन्द्र कुमार पाण्डे
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादही